फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

जंग सिंह **बनाम** राजस्थान सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट नम्बर 22 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/26

तामिल हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.02.2023	वादी जंग सिंह पुत्र काला सिंह जाति तरखान निवासी 39 एच बुर्जवाला तहसील श्रीकरणपुर की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट पेश किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। वादपत्र के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु पत्र लिखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.03.2023 को पेश हो।	
14/3/23	बार संघ का कार्य स्थागत है श्री मान PO साहब अन्य कार्यो में व्यस्त है पत्रावली दिनाक 12/4/23 को पेश हो	
17/4/23	वादी अधिवक्ता उपस्थित। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त नहीं। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट दिनांक 08/05/23 को पेश हो।	
8/5/23	वकील फरीकैन उपस्थित श्री मान PO साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनाक 20/5/23 को पेश हो।	
20/5/23	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान - 2023 ग्रा.प. RF (मुकाम) में पेश हुई। रिपोर्ट TDR KPR प्राप्त हुई शामिल मिसल रहे। निर्णय [illegible] गया। वादी से लिखवाया जाकर सुनाया [illegible] का वादपत्र रिपोर्ट TDR KPR [illegible] पत्र के आधार पर स्वीकार किया [illegible] जाता है। पत्रावली में पर्चा डिक्री जारी [illegible]। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से [illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 22/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. जंग सिंह पुत्र काला सिंह जाति तरखान निवासी 39 एच बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 13.02.2023

उपस्थितः **1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- **दिनांक :**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवालाा, तहसील श्री करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/72 में कृषि भूमि संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिसमें वादी का नाम क्रमांक संख्या :-3 व 6 पर जंग सिंह पुत्र काला सिंह व मिठू सिंह पुत्र काला सिंह जाति तरखान निवासी 39 एच बुर्जवाला, तहसील श्री करणपुर से दर्ज है। वादी ने उक्त वर्णित कृषि भूमि खरीदशुदा भूमि है, जिसमें वादी खरीद की दिनांक से काश्त कर रहा है, जिसका इंतकाल संख्या 640 दर्ज हुआ है। उक्त खाता में वादी का नाम क्रमांक संख्या :-3 जंग सिंह पुत्र काला सिंह व क्रमांक संख्या 6 पर मिठू सिंह पुत्र काला सिंह जाति तरखान निवासी 39 एच बुर्जवाला, तहसील श्री करणपुर नाम दर्ज हैं। वादी के वर्तमान दस्तावेजो में जंग सिंह पुत्र काला सिंह जाति तरखान निवासी बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर नाम दर्ज है। वादी के समस्त पहचान संबंधी दस्तावेजो में जंग सिंह पुत्र काला सिंह नाम अंकित है। वादी उक्त वर्णित खाता में क्रमांक संख्या 3 व 6 पर वर्णित नाम हटवाकर, उसके स्थान पर जंग सिंह पुत्र काला सिह जाति तरखान निवासी बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर नाम अंकित करवाना चाहता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो। राजस्व अभिलेख में वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण, वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने वास्तविक नाम की घोषणात्मक का अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वादी ने पूर्व में उक्त नाम संशोधन करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2022 को पेश करने पर, बाद जांच पटवारी ने तथ्यो की जांच करते हुये, तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर द्वारा माननीय [illegible] प्राप्त करने हेतु हिदायत दी गई। इस कारण वादी माननीय में उक्त वाद पत्र [illegible] कर [illegible]। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस [illegible]। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, तहसील [illegible]करणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37/72 में क्रमांक संख्या 3 व 6 पर वर्णित नाम के स्थान पर जंग सिंह पुत्र काला सिंह जाति तरखान निवासी बुर्जवाला तहसील श्री करणपुर [illegible] घोषित किया जाकर, इस आश्य की डिक्री जारी की जाकर, उपरोक्तानुसार नाम संशोधन [illegible] हेतु तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर को आदेश दिया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। [illegible] करणपुर के पत्रांक 1838 दिनांक 05.05.2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार मौके पर पटवारी हलका द्वारा पूछताछ की गई जिसमें उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि मिटू सिंह पुत्र काला सिंह एवं जंग सिंह पुत्र काला सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है एवं सही नाम जंग सिंह पुत्र काला सिंह है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 37/72 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 37/72 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम मिटू सिंह पुत्र काला सिंह के स्थान पर जंग सिंह पुत्र काला सिंह दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड में नाम जंग सिंह पुत्र काला सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीदार श्रीकरणपुर के अनुसार मौके पर पटवारी हलका द्वारा पूछताछ की गई जिसमें उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि मिटू सिंह पुत्र काला सिंह एवं जंग सिंह पुत्र काला सिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है एवं सही नाम जंग सिंह पुत्र काला सिंह है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 37/72 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम मिटू सिंह पुत्र काला सिंह के स्थान पर मिटू सिंह उर्फ जंग सिंह पुत्र काला सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
जंग सिंह बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नम्बर 22/2023
निर्णय दिनांक :- 20.05.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 35 एच, पटवार हल्का बुर्जवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 37/72 में क्रम संख्या 6 पर अंकित नाम मिठू सिंह पुत्र काला सिंह के स्थान पर मिठू सिंह उर्फ जंग सिंह पुत्र काला सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.05.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/ 2023/217
दिनांकः 20.05.2023

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि इस डिक्री की अनुपालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:51:52 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर